संचिका सं0– टी–3(यो0)/भवन–18/2018.2061

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, पटना–01

कौशलं बलम्

बिहार सरकार

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक–15/10/2026

विषयः– **महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बांका के चहारदीवारी को ऊँचा कर कंटीला तार लगवाने के कार्य हेतु कुल राशि रू0 36,09,200/– (छत्तीस लाख नौ हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बांका के चहारदीवारी को ऊँचा कर कंटीला तार लगवाने के कार्य हेतु अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–6159 (भ0) दिनांक–02.07.2026 एवं पत्रांक–1291(भ0) दिनांक–06.02.2026 द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल राशि रू0 36,09,200/– (छत्तीस लाख नौ हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष–4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष– 60– अन्य भवन, लघु शीर्ष–051– निर्माण उपशीर्ष–0112–औ0 प्र0 संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुननिर्माण/उन्नयन, विपत्र कोड–03–4059600510112 राज्य योजना के विषय शीर्ष–0112–53–01 मुख्य निर्माण कार्य से वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से किया जायेगा। निर्माण कार्य नहीं होने की स्थिति में स्वतः आगे के वित्त वर्षों में संबंधित शीर्षों में उपबंधित/प्रावधानित राशि से व्यय किया जाएगा। इस राशि के व्यय में वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि (02) दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित जाएगा।

3. इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, बांका से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

7. संचिका संख्या–टी–3(यो0)/भवन–18/2018 38/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

S. Aggarwal 15/10/26

संयुक्त सचिव
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी–3(यो0)/भवन–18/2018-2061 पटना, दिनांक–15/10/2026

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग /वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Dayal
15/10/26
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– टी–3(यो0)/भवन–18/2018-2061 /पटना, दिनांक–15/10/2026

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, बांका/जिला कोषागार, पदाधिकारी, बांका/ कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बांका/प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बांका/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/लेखा शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Dayal
15/10/26
सरकार के संयुक्त सचिव